



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 13, 2018
(PHALGUNA 22, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13th March, 2018

No. 21-HLA of 2018.— The Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 21 — HLA of 2018

THE HARYANA KISAN KALYAN PRADHIKARAN BILL, 2018

A

BILL

to establish The Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran to formulate and undertake a humanistic and holistic welfare based approach to address the difficulty faced by the farmers of the State and to provide relief to distressed farmers in varying and challenging situations and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran Act, 2018.
- (2) It extends to the whole of the State of Haryana.
- (3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification, fix for different provisions of this Act and any reference in any such provision of this Act to the commencement of this Act, shall be construed as a reference to the coming in force of that provision.

Short title,
extent and
commencement.

- Definitions. **2.** In this Act, unless the context otherwise requires,—
- (a) “Chairperson” means the Chairperson of the Pradhikaran;
 - (b) “Chief Executive Officer” means the Chief Executive Officer of the Pradhikaran;
 - (c) “Council” means the Agriculture Advisory Council constituted under section 10;
 - (d) “Government” means the Government of the State of Haryana;
 - (e) “Member” means a Member of the Pradhikaran and includes the Chairperson, Vice-Chairperson and the Chief Executive Officer;
 - (f) “Pradhikaran” means the Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran established under sub-section (1) of section 3;
 - (g) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
 - (h) “regulation” means a regulation made under this Act by the Pradhikaran;
 - (i) “State” means the State of Haryana;
 - (j) “Vice-Chairperson” means the Vice-Chairperson of the Pradhikaran.
- Establishment of Pradhikaran. **3.** (1) The Government shall, by notification and with effect from such date, as may be specified in the notification, establish, for the purposes of this Act, a Pradhikaran to be known as the Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran with headquarter at such place, as the Government may, specify.
- (2) The Pradhikaran shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name, sue and be sued.
- Constitution of Pradhikaran. **4.** The Pradhikaran shall consist of the following Members, namely:—
- | | | |
|--------|--|--------------------------------|
| (i) | Chief Minister, Haryana | Chairperson |
| (ii) | Minister Incharge, Agriculture and Farmers’ Welfare Department | Vice-Chairperson
ex-officio |
| (iii) | Minister Incharge, Animal Husbandry and Dairying Department | Member ex-officio |
| (iv) | Minister Incharge, Horticulture Department | Member ex-officio |
| (v) | Minister Incharge, Fisheries Department | Member ex-officio |
| (vi) | Minister Incharge, Finance Department | Member ex-officio |
| (vii) | Minister Incharge, Industries and Commerce Department | Member ex-officio |
| (viii) | Minister Incharge, Development and Panchayats Department | Member ex-officio |
| (ix) | Minister Incharge, Rural Development Department | Member ex-officio |
| (x) | Minister Incharge, Irrigation and Water Resources Department | Member ex-officio |

(xi)	Minister Incharge, Food, Civil Supplies and Consumers Affairs Department	Member ex-officio
(xii)	Minister Incharge, Co-operation Department	Member ex-officio
(xiii)	Minister Incharge, New and Renewable Energy Department	Member ex-officio
(xiv)	Minister Incharge, Forests and Wildlife Department	Member ex-officio
(xv)	Chief Secretary, Haryana	Member ex-officio
(xvi)	Additional Chief Secretary and Financial Commissioner, Revenue and Disaster Management Department	Member ex-officio
(xvii)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Agriculture and Farmers' Welfare Department	Member ex-officio
(xviii)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Animal Husbandry & Dairying Department	Member ex-officio
(xix)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Fisheries Department	Member ex-officio
(xx)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Industries and Commerce Department	Member ex-officio
(xxi)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Development and Panchayats Department	Member ex-officio
(xxii)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Rural Development Department	Member ex-officio
(xxiii)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department	Member ex-officio
(xxiv)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department	Member ex-officio
(xxv)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Co-operation Department	Member ex-officio
(xxvi)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, New and Renewable Energy Department	Member ex-officio

(xxvii)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Environment Department	Member ex-officio
(xxviii)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Forests and Wildlife Department	Member ex-officio
(xxix)	Chief Executive Officer	Member-Secretary
(xxx)	Such experts, not exceeding six, as the Government may, from time to time, nominate from the field of agriculture, animal husbandry, horticulture, fisheries, agri-business, food-processing, agriculture marketing, insurance, rural development etc.	Member

Allowances,
cessation and
resignation of
Members.

5. (1) The Members, other than ex-officio Members, shall receive such allowances for attending the meetings of the Pradhikaran, as may be prescribed.

(2) Where a person becomes or is nominated as a Member of the Pradhikaran by virtue of holding an office or a position, he shall cease to be a Member of the Pradhikaran as soon as he ceases to hold such office or position, as the case may be.

(3) A Member, other than an ex-officio Member may, at any time, by writing under his hand, addressed to the Chairperson, resign from his office.

Meetings of
Pradhikaran.

6. (1) The Pradhikaran shall meet at such time, at such place and subject to provisions of sub-sections (2) and (3), observe such rules of procedure for conduct of meetings and transaction of business, as may be prescribed.

(2) At every meeting of the Pradhikaran, the Chairperson, if present or in his absence, Vice-Chairperson or any one of the Members, as the Chairperson may nominate, shall preside.

(3) All decisions in the meeting shall be decided by a majority of votes of the Members present and in case of equality of votes, the Chairperson, Vice-Chairperson or the Member presiding, as the case may be, shall have a second or casting vote.

(4) The Chief Executive Officer shall maintain record of the meetings of the Pradhikaran in such manner, as may be prescribed.

Delegation of
powers of
Pradhikaran to
executive
committee.

7. (1) The Pradhikaran may delegate any of its powers, other than the powers in sub-section (2), to an executive committee constituted from amongst its Members, as the Chairperson may decide and all decisions of the executive committee shall have the same effect as if taken by the Pradhikaran under this Act:

Provided that the executive committee shall include not less than three Members nominated under clause (xxx) of section 4.

(2) The Pradhikaran shall not delegate to the executive committee the following powers, namely:—

- (a) to approve the budget of the Pradhikaran;
- (b) to make, amend or repeal any regulation.

- 8.** (1) The Government shall, by notification, appoint an officer of the Government, not below the rank of Principal Secretary, as Chief Executive Officer. Appointment, terms and conditions of Chief Executive Officer.
- (2) The Chief Executive Officer shall be paid out of the fund of the Pradhikaran, such monthly salary and allowances with such other facilities, as may be fixed by the Government.
- (3) Whenever the Chief Executive Officer is on leave or is unable to discharge his duties, the Government may appoint another officer in his place to exercise the powers of the Chief Executive Officer until his return.
- 9.** (1) The Pradhikaran may appoint such officers and staff, in such manner and with such qualifications, as may be prescribed. Officers and other staff of Pradhikaran.
- (2) The salary, allowances payable to and other terms and conditions of service of officers and other staff of the Pradhikaran shall be such, as may be prescribed.
- (3) The Chief Executive Officer may appoint, in such manner, for such temporary period and on such terms and conditions, such other staff, as it may consider necessary for the efficient performance of the functions of Pradhikaran, as may be specified by regulations.
- 10.** (1) The Government shall constitute a Council to be called the Agriculture Advisory Council, who shall aid and advise the Pradhikaran in making policy decisions to ensure a better standard of living for farmers, to provide relief/compensation to farmers in cases of natural calamities and or taking effective steps for the welfare of farmers. Agriculture Advisory Council.
- (2) (a) The Council shall consist of the following members, namely:—
- | | |
|---|------------------|
| (i) The Chief Secretary to Government, Haryana | Chairperson |
| (ii) Vice-Chancellor, Chaudhary CharanSingh Haryana Agricultural University, Hisar | Member |
| (iii) Vice-Chancellor, Maharana Partap Horticultural University, Karnal | Member |
| (iv) Vice-Chancellor, Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar | Member |
| (v) Vice-Chancellor, Haryana Vishwakarma Skill University, Gurugram | Member |
| (vi) Head of the Department, Agriculture and Farmers' Welfare | Member-Secretary |
| (vii) Head of the Department, Horticulture | Member |
| (viii) Head of the Department, Animal Husbandry and Dairying | Member |
| (ix) Head of the Department, Fisheries | Member |

- | | | |
|---------|---|--------|
| (x) | Head of the Department, Industries and Commerce | Member |
| (xi) | Head of the Department, Development and Panchayats | Member |
| (xii) | Head of the Department, Rural Development | Member |
| (xiii) | Head of the Department, Irrigation and Water Resources | Member |
| (xiv) | Head of the Department, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs | Member |
| (xv) | Head of the Department, Co-operation | Member |
| (xvi) | Head of the Department, New and Renewable Energy | Member |
| (xvii) | Head of the Department, Forests and Wildlife | Member |
| (xviii) | Head of the Department, Environment | Member |
| (xix) | Chief Administrator, Haryana State Agricultural Marketing Board | Member |
| (xx) | Chief Engineer- Command Area Development Authority | Member |
| (xxi) | Chief Executive Officer – State Level Nodal Agency | Member |
| (xxii) | Mission Director – Haryana State Horticulture Development Agency | Member |
| (xxiii) | Mission Director – Haryana Skill Development Council | Member |
| (xxiv) | Managing Director – Haryana Agro Industries Corporation | Member |
- (b) One representative each of National Dairy Research Institute, Karnal, Central Soil Salinity Research Institute, Karnal, Indian Institute of Wheat and Barley Research, Karnal, Sugarcane Research Institute-Karnal, Central Institute of Cotton Research, Sirsa, Central Ground Water Board (CGWB), Chandigarh and Regional Centre of Organic Farming, Panchkula and three eminent scientists in the field of agriculture and allied sector to be nominated by the Chairperson of the Council, as special invited members.
- (c) Such persons, not less than five and not more than ten, to be nominated by the Pradhikaran, amongst progressive farmers recognized with State/ National award in agriculture and allied sector including agriculture entrepreneur running agro-business and agro-industries in the State, in such manner and for such term, as may be prescribed as members.

(3) The Chief Secretary to Government, Haryana shall preside over the meetings of the Council. The Head of the Department, Agriculture and Farmers' Welfare shall be the Member-Secretary of the Council who shall forward the recommendations of the Council, along with an explanatory memorandum on the action taken or proposed to be taken thereon to the Chief Executive Officer of Pradhikaran for consideration/decision of the Pradhikaran.

(4) The procedure for conduct of meetings and transactions of business of the Council shall be such, as may be prescribed.

11. (1) Subject to the other provisions of this Act, rules and regulations made thereunder, the general superintendence, direction and management of the affairs of the Pradhikaran shall vest with the Chief Executive Officer.

General superintendence, direction and management of affairs of Pradhikaran.

(2) The Chief Executive Officer may by an order, delegate any of his powers to any officer of the Pradhikaran on such terms and conditions, as he may determine:

Provided that each such order of delegation and the terms and conditions of such delegation shall be placed before the Pradhikaran.

12. A Member of the Pradhikaran or a member of the Council, having any direct or indirect interest, whether pecuniary or otherwise, in any matter coming up for consideration at a meeting of the Pradhikaran or the Council, as the case may be, shall disclose the nature of his interest at such meeting and shall not take any part in any deliberation or decision of the Pradhikaran or the Council, as the case may be, with respect to that matter.

Avoidance of conflict of interest.

13. The Chief Executive Officer and such Members of the Pradhikaran, as the Pradhikaran may determine and members of the Council shall, as soon as may be after appointment and every year thereafter, make a declaration, in such form and manner, as may be specified by regulations, on the extent of his interest, whether direct or indirect and whether pecuniary or otherwise, in any property, business or employment of any family Member in the Pradhikaran or any matter concerning or related to the affairs of the Pradhikaran and the declaration so made shall be placed on the website of the Pradhikaran.

Disclosure of information.

14. The Pradhikaran shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

Powers and functions of Pradhikaran.

- (i) to take all possible policy decisions and undertake such measures as per the advice and recommendations of the Council for the welfare of the farmers including landless farmers and their families;
- (ii) to take such measures for identification of real farmers including landless and tenant farmers in the State and prepare new schemes for the welfare of such farmers;
- (iii) to prepare a comprehensive land use policy for agriculture and allied sector and identify viable land holding size for agriculture to be profitable;

- (iv) to mitigate the distress of farmers during natural calamities by providing suitable relief and adequate compensation for loss of crop and also provision of insurance for the health and life of farmers and their families;
- (v) to identify crop pattern wise farmers in the State and undertake specific policy decisions / measures for the welfare of such farmers;
- (vi) to take such measures as to make agriculture risk free in changing climatic conditions and to promote climate smart agriculture practices amongst farmers;
- (vii) to formulate suitable policy intervention to enhance agricultural productivity and to take such measures to reduce the cost of production by synergizing the efforts of all stakeholder Departments;
- (viii) to take such policy decisions and undertake such measures to increase farmer's income through multipronged interventions such as:
 - (a) reduction of input cost;
 - (b) increase in productivity;
 - (c) crop diversification (shifting from low income crops to high income/high value crops);
 - (d) integrated farming;
 - (e) mixed farming;
 - (f) post harvest management, value addition, packaging, branding and agri-business services;
 - (g) institutional credit access;
 - (h) risk management;
- (ix) to take measures to ensure assured and remunerative price of agriculture / farm produce to the farmers;
- (x) to formulate suitable policy for increasing public investment in the development of infrastructure for post-harvest management and for marketing of agriculture produce and to invite / increase private sector investment;
- (xi) to promote sustainable agriculture through efficient management of soil and water resources;
- (xii) to promote initiatives for Agri-Entrepreneurship and skill development amongst the farmers of the State;
- (xiii) to take such policy decisions and undertake such measures so as to increase the direct participation of farmer families in the agriculture market in a phased manner (Direct Marketing);

- (xiv) recommend to the Government to acquire, in accordance with any law for the time being in force, land for the purpose of the Pradhikaran;
- (xv) acquire, lease, hold, manage, maintain and dispose property, movable or immovable, other than land;
- (xvi) enter into contracts or agreements with any person, board, company, local authority or other agency;
- (xvii) form with the prior approval of the Government and on such terms and conditions, as may be approved by the Government, joint venture companies and limited liability partnerships, with boards, companies or other agencies;
- (xviii) to do all such other acts and things which may be necessary for or incidental or conducive to, any matter which may arise on account of exercise of powers and performances of functions and which are necessary for furtherance of the objects for which the Pradhikaran is established;
- (xix) any other function, as the Pradhikaran may deem fit.

- 15.** The Pradhikaran shall oversee regulations, policies, guidelines and procedures for welfare of farmers and suggest amendments in statutes governing welfare of farmers in the State in consonance with the central Acts. Consistency with provisions of existing laws.
- 16.** (1) The Pradhikaran may call for any information which is relevant for its purposes, from any department, board, corporation or research institution in the State. Seek information and carry out studies/surveys.
- (2) The Pradhikaran may carry out survey and study on any subject related to agriculture and allied sector and welfare of farmers by itself or through any other agency.
- 17.** Subject to such terms and conditions, as may be specified by regulations, the Pradhikaran may constitute as many coordination committees and standing committees, as it deems fit, with such terms of references as the Pradhikaran may determine for exercising any power or discharging any function or for monitoring or reporting or advising upon any matters related to agriculture and allied sectors and matter related to welfare of farmers. Coordination committees and standing committees.
- 18.** The Chief Executive Officer may engage, on such fee and remuneration and for such period, such experts having such experience, as may be specified by regulations. Powers to engage experts.
- 19.** The Pradhikaran shall ensure transparency and adopt information technology for efficient discharge of its functions. Pradhikaran to ensure transparency.

Fund of Pradhikaran.	<p>20. (1) The Pradhikaran shall have and maintain its own fund to which shall be credited-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) all moneys received by the Pradhikaran from the Central Government or the Government by way of grants, loans, advances or otherwise; (b) all moneys borrowed by the Pradhikaran from sources other than State or Central Governments, by way of loans or debentures; (c) all fees and charges levies by the Pradhikaran from the disposal of property, moveable and immoveable; (d) all moneys received by the Pradhikaran by way of rents and profits or in any other manner or from any other source. <p>(2) The fund shall be applied towards meeting expenditure-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) in operation and maintenance of assets created for purposes of the Pradhikaran; (b) salaries and allowances of the Chief Executive Officer, other officers and employees of the Pradhikaran; (c) for the administration of the Act; (d) for such purposes in the exercise of powers or performance of functions under this Act as the Pradhikaran may approve or the Government may direct or permit.
Annual grants, loans and advances.	<p>21. The Government may make to the Pradhikaran grants, loans or advances of such sums of money annually, as the Government may deem necessary and all grants, loans or advances so made shall be on such terms and conditions, as the Government may determine.</p>
Power to borrow and receive donations.	<p>22. The Pradhikaran may, from time to time, borrow money by way of loans, bonds or debentures or other instruments from sources other than the Government and receive donations from the public on such terms and conditions, general or specific, as may be approved by the Government.</p>
Power to invest.	<p>23. (1) The Pradhikaran may invest any portion of its funds in such investments, as may be specified by regulations.</p> <p>(2) The Pradhikaran may, with the prior approval of the Government, invest in establishment of joint venture companies and limited liability partnerships for infrastructure development and discharge of its functions and duties.</p>
Priority of payment for interest and repayment of loans.	<p>24. All payments by the Pradhikaran on account of interest on loans or the repayment of loans shall be made on priority to all other dues of the Pradhikaran.</p>
Budget.	<p>25. (1) The Chief Executive Officer shall submit, in such form and at such time every year, as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and disbursement of the Pradhikaran.</p>

(2) The Pradhikaran shall, subject to such modifications and revisions, as it may decide, approve the budget submitted under sub-section (1).

(3) The budget as modified or revised by the Pradhikaran, shall be forwarded to the Government along with such number of authenticated copies, as may be required by the Government and the Government shall cause the report to be laid before the State Legislature.

(4) The Chief Executive Officer shall cause the budget as modified or revised by the Pradhikaran, to be placed on the website of the Pradhikaran after the report has been laid before the State Legislature under sub-section (3).

26. (1) The Pradhikaran shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form, as may be prescribed. Accounts and audit.

(2) The accounts of the Pradhikaran shall be subject to audit annually by the Accountant General of Haryana and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Pradhikaran to the Accountant General of Haryana.

(3) The Accountant General of Haryana and any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Pradhikaran shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General of Haryana has in connection with the audit of the Government accounts and in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Pradhikaran.

(4) The accounts of the Pradhikaran as certified by the Accountant General of Haryana or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon and an explanatory memorandum on the action so taken or proposed to be taken shall be forwarded annually to the Government and the Government shall cause a copy of the same to be laid before the State Legislature.

(5) The Chief Executive Officer shall cause the accounts of the Pradhikaran together with the audit report and the explanatory memorandum to be placed on the website of the Pradhikaran after the report has been laid before the Legislature under sub-section(4).

27. (1) The Chief Executive Officer shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the Government in such form and on or before such date, as may be prescribed and the Government shall cause the report to be laid before the State Legislature. Annual Report.

(2) The report referred to in sub-section (1) shall include an explanatory memorandum on the status of implementation of the annual plan of action on relief measures, schemes implemented alongwith gaps and shortfalls, if any, in implementation and reasons for such shortfall.

(3) The Chief Executive Officer shall cause the report together with the explanatory memorandum to be placed on the website of the Pradhikaran after the report has been laid before the Legislature under sub-section (1).

Review of performance.

28. (1) The Government shall, within five years from the commencement of this Act and thereafter at the expiration of every five year, constitute a committee, in such manner and consisting of such members, as may be prescribed to evaluate and review the performance of the Pradhikaran in the said period.

(2) The committee shall include experts of national eminence and standing in the field of agriculture, rural development, crop insurance, management, public administration.

(3) The committee referred to in sub-section (1) shall evaluate and review the performance of the Pradhikaran and make recommendations to the Government as to—

- (a) the extent of fulfillment of the goals and objectives of the Pradhikaran stated in this Act, as demonstrated by the state of social and economic situation of farmers in the State;
- (b) further vision of the Pradhikaran along with corrective measures, if any;
- (c) such other matters, as may be referred to the committee by the Government.

(4) The Government shall cause to be laid before the State Legislature, the report of the committee constituted under sub-section (1) along with an explanatory memorandum on the action taken or proposed to be taken, thereon in respect of each recommendation of the committee.

Proceedings not to be invalidated by vacancies.

29. No act or proceedings of the Pradhikaran, Council or any committee constituted by or under this Act shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Returns and information.

30. The Pradhikaran shall, within such period, as may be specified, furnish to the Government, such returns or other information with respect to its activities, as the Government may, from time to time, require.

Power of Government in certain matters.

31. (1) The Pradhikaran shall carry out such directions, as may be issued to it, from time to time, by the Government.

(2) The Government may, at any time, either on its own motion or on application made to it in this behalf, call for the records of any case disposed of or order passed by any officer of the Pradhikaran for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit:

Provided that the Government shall not pass an order prejudicial to any person without affording such person a reasonable opportunity of being heard.

- 32.** The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. Application of other laws not barred.
- 33.** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything, which is in good faith, done or intended to be done under this Act or any rule or regulations made there under. Protection of action taken in good faith.
- 34.** Every member and every officer and other staff of the Pradhikaran, Council or a committee constituted by or under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860). Members and officers to be public servants.
- 35.** (1) The Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act. Power to make rules.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following, matters, namely:—
- (a) the allowances of Members, other than ex-officio Members, for attending the meetings of the Pradhikaran;
 - (b) the time of meeting, the rules of procedure for conduct of business and transaction of business of the Pradhikaran;
 - (c) the manner in which the Chief Executive Officer shall maintain records of the meetings of the Pradhikaran;
 - (d) the manner and qualifications for appointment of officers and employees of the Pradhikaran;
 - (e) the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of officers and other staff of the Pradhikaran;
 - (f) the manner and term of appointment of persons, being industrious farmers or agro-industrialists of the State, to be nominated to the Council;
 - (g) the procedure for conduct of meetings and transaction of business of the Council;
 - (h) the allowances of Members, other than ex-officio Members, for attending the meeting of the Council;
 - (i) the form and time every year that the Chief Executive Officer shall submit the budget;
 - (j) the form in which the Pradhikaran shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet;
 - (k) the form and the date, on or before which, the Chief Executive Officer shall prepare and submit to the Government a report of its activities during that year;

(l) the number of members, their expertise and the manner of constitution of the committee;

(m) any other matter which has to be or may be prescribed.

Power to make regulations.

36. (1) Subject to the provisions of this Act, the Pradhikaran shall, by publication on its website, make regulations to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may provide for all or any of the following, matters, namely:—

(a) the manner, the period and the terms and conditions of appointment of temporary staff;

(b) the form and the manner, in which the Chief Executive Officer, officers of the Pradhikaran and members of the Council shall make a declaration, on the extent of their interest;

(c) the terms and condition of constitution of coordination committees and standing committees;

(d) the forms and manner in which a member shall make a declaration;

(e) the fee, remuneration and the period of appointment of experts;

(f) the investment in which the Pradhikaran may invest any portion of its funds;

(g) any other matter which has to be or may be, specified by regulations.

(3) The Pradhikaran may, from time to time, amend or repeal any regulation and each such regulation, its amendment or repeal, as the case may be, shall come into effect from the date of its publication on the website of the Pradhikaran.

Power to remove difficulties.

37. (1) If any difficulties arise in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

Laying of notification, rules and regulations before State Legislature.

38. The notification issued under sub-section (1) of section (3), every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is issued or made, before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of the ever increasing cost of agriculture production, low remunerative price of the farm produce, lack of market access and repeated crop failure on account of natural disasters and calamities etc. the farm sector as well as the farmers of the State including the landless farmers are under distress. More than 60% population of the State of Haryana is engaged in agriculture and allied sectors for their basic livelihood. The farmer, like anybody else has to meet the needs of his family including social obligations, education of his children and also take care of the medical needs of the family. In this context the announcement made by Hon'ble Prime Minister for doubling the farmer's income by 2022 assumes lot of significance for which the State of Haryana must initiate multipronged approach for holistic and sustainable development of the agriculture and allied sector with primary focus on the welfare of the farmers. Realizing the plight and distress of the farmers, the State Government proposes to establish the "**KISAN KALYAN PRADHIKARAN HARYANA**" whose basic objective will be to formulate and undertake a humanistic and holistic welfare based approach to address the difficulty faced by the farmers of the State and to provide relief to distressed farmers in varying and challenging situations.

OM PRAKASH DHANKAR,
Agriculture and Farmers Welfare Minister,
Haryana.

Chandigarh :
The 13th March, 2018.

R.K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7(1) of the proposed bill provides for the delegation of powers of Pradhikaran to executive committee. Clause 11(2) the Chief Executive Officer may by any order delegate any of his power to any officer of the Pradhikaran of the proposed bill delegates the Powers to engage experts. Hence, memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 21—एच०एल०ए०

हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण विधेयक, 2018

राज्य के किसानों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों का समाधान करने तथा बदलती तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से व्यथित किसानों को राहत उपलब्ध करवाने के लिए मानवतावादी तथा समग्र कल्याण के दृष्टिकोण पर आधारित वचनबद्धता को सूत्रबद्ध करने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
- (3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए नियत करे और इस अधिनियम के प्रारंभ से इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबन्ध के किसी संदर्भ को उस उपबन्ध के लागू होने के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं।
 - (क) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का अध्यक्ष;
 - (ख) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
 - (ग) "परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 10 के अधीन गठित कृषि सलाहकार परिषद्;
 - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (ङ) "सदस्य" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का सदस्य तथा इसमें शामिल है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
 - (च) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण ;

- (छ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (ज) "विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम;
- (झ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;
- (ञ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का उपाध्यक्ष।

प्राधिकरण की
स्थापना।

3. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी तिथि से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे स्थान पर मुख्यालय सहित, जो सरकार विनिर्दिष्ट करे, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के रूप में ज्ञात प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा तथा वह उक्त नाम से वाद करेगा तथा उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा।

प्राधिकरण का
गठन।

4. प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

- | | | |
|--------|---|----------------|
| (i) | मुख्य मन्त्री, हरियाणा | अध्यक्ष |
| (ii) | कार्यभारी मन्त्री, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग | पदेन उपाध्यक्ष |
| (iii) | कार्यभारी मन्त्री, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग | पदेन सदस्य |
| (iv) | कार्यभारी मन्त्री, बागवानी विभाग | पदेन सदस्य |
| (v) | कार्यभारी मन्त्री, मत्स्य विभाग | पदेन सदस्य |
| (vi) | कार्यभारी मन्त्री, वित्त विभाग | पदेन सदस्य |
| (vii) | कार्यभारी मन्त्री, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग | पदेन सदस्य |
| (viii) | कार्यभारी मन्त्री, विकास तथा पंचायत विभाग | पदेन सदस्य |
| (ix) | कार्यभारी मन्त्री, ग्रामीण विकास विभाग | पदेन सदस्य |
| (x) | कार्यभारी मन्त्री, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग | पदेन सदस्य |
| (xi) | कार्यभारी मन्त्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग | पदेन सदस्य |
| (xii) | कार्यभारी मन्त्री, सहकारिता विभाग | पदेन सदस्य |

(xiii)	कार्यभारी मन्त्री, नवीन तथा अक्षय ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य
(xiv)	कार्यभारी मन्त्री, वन तथा वन्यजीव विभाग	पदेन सदस्य
(xv)	मुख्य सचिव, हरियाणा	पदेन सदस्य
(xvi)	अपर मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	पदेन सदस्य
(xvii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग	पदेन सदस्य
(xviii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पशुपालन तथा डेयरी विभाग	पदेन सदस्य
(xix)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मत्स्य विभाग	पदेन सदस्य
(xx)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	पदेन सदस्य
(xxi)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, विकास तथा पंचायत विभाग	पदेन सदस्य
(xxii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	पदेन सदस्य
(xxiii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
(xxiv)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	पदेन सदस्य
(xxv)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग	पदेन सदस्य
(xxvi)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नवीन तथा अक्षय ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य
(xxvii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग	पदेन सदस्य
(xxviii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वन तथा वन्यजीव विभाग	पदेन सदस्य
(xxix)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य—सचिव
(xxx)	ऐसे विशेषज्ञ, जो छह से अधिक न हो, जो सरकार, समय—समय पर, कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य, कृषि—कारबार, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि विपणन, बीमा, ग्रामीण विकास इत्यादि के क्षेत्र से नामांकित करे।	सदस्य

सदस्यों के भत्ते समाप्त तथा त्यागपत्र।

5. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य प्राधिकरण की बैठकों में हाजिर होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो विहित किए जाएं।

(2) जहां कोई व्यक्ति कार्यालय या पद धारण करने के परिणामस्वरूप प्राधिकरण के सदस्य रूप में बन जाता है या नामांकित हो जाता है, तो वह ऐसे कार्यालय या पद, जैसी भी स्थिति हो, पर न रहने के कारण यथाशीघ्र प्राधिकरण के सदस्य के रूप में भी नहीं रहेगा।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य, किसी भी समय पर, अपने हस्ताक्षर के अधीन लिखित में अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए अपना पद त्याग सकता है।

प्राधिकरण की बैठक।

6. (1) प्राधिकरण ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर तथा उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन बैठकें करने तथा कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसे नियमों की प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, बैठक करेगा।

(2) अध्यक्ष, यदि उपस्थित है या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या ऐसे किसी एक सदस्य, जिसे अध्यक्ष नामांकित करे, द्वारा प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(3) बैठक के सभी प्रश्नों का निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्य के बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाला सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, दूसरा या निर्णायक मत डालेगा।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण की बैठकों के रिकार्ड ऐसी रीति में रखेगा, जो विहित की जाए।

प्राधिकरण की शक्तियों का कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजन।

7. (1) प्राधिकरण उपधारा (2) में शक्तियों से भिन्न अपनी किन्हीं शक्तियों, जो अध्यक्ष विनिश्चित करे, को इसके सदस्यों में से गठित कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है और कार्यकारी समिति के सभी निर्णय उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए गए हों :

परन्तु कार्यकारी समिति धारा 4 के खण्ड (xxx) के अधीन कम से कम तीन नामांकित सदस्यों को शामिल करेगी।

(2) प्राधिकरण कार्यकारी समिति को निम्नलिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं करेगा, अर्थात्:-

(क) प्राधिकरण के बजट का अनुमोदन करने;

(ख) किसी विनियम को बनाने, संशोधित करने या निरसित करने।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, निबन्धन तथा शर्तें।

8. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो प्रधान सचिव की पदवी से नीचे का न हो।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकरण की निधि में से ऐसी अन्य सुविधाओं सहित ऐसे मासिक वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो सरकार द्वारा नियत किए जाएं।

(3) जब कभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवकाश पर है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो सरकार उसकी वापसी तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसके स्थान पर दूसरे अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

9. (1) प्राधिकरण ऐसी रीति में तथा ऐसी योग्यता, जो विहित की जाए, सहित ऐसे अधिकारी तथा अमले को नियुक्त कर सकता है।

प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे अन्य अमले को, ऐसी रीति में, ऐसी अस्थाई अवधि के लिए तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर नियुक्त कर सकता है, जो वह प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

10. (1) सरकार कृषि सलाहकार परिषद् कही जाने वाली परिषद् का गठन करेगी, जो किसानों के बेहतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए पालिसी निर्णय लेने में, प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में किसानों को राहत/मुआवजा मुहैया कराने के लिए तथा किसानों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए प्राधिकरण को सहयोग करेगी और सलाह देगी।

कृषि सलाहकार परिषद्।

(2) (क) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i)	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	अध्यक्ष
(ii)	कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	सदस्य
(iii)	कुलपति, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल	सदस्य
(iv)	कुलपति, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	सदस्य
(v)	कुलपति, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, गुरुग्राम	सदस्य
(vi)	विभागाध्यक्ष, कृषि तथा किसान कल्याण	सदस्य—सचिव
(vii)	विभागाध्यक्ष, बागवानी	सदस्य

- | | | |
|---------|--|-------|
| (viii) | विभागाध्यक्ष, पशुपालन तथा डेयरिंग | सदस्य |
| (ix) | विभागाध्यक्ष, मत्स्य | सदस्य |
| (x) | विभागाध्यक्ष, उद्योग तथा वाणिज्य | सदस्य |
| (xi) | विभागाध्यक्ष, विकास तथा पंचायत | सदस्य |
| (xii) | विभागाध्यक्ष, ग्रामीण विकास | सदस्य |
| (xiii) | विभागाध्यक्ष, सिंचाई तथा जल संसाधन | सदस्य |
| (xiv) | विभागाध्यक्ष, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले | सदस्य |
| (xv) | विभागाध्यक्ष, सहकारिता | सदस्य |
| (xvi) | विभागाध्यक्ष, नवीन तथा अक्षय ऊर्जा | सदस्य |
| (xvii) | विभागाध्यक्ष, वन तथा वन्यजीव | सदस्य |
| (xviii) | विभागाध्यक्ष, पर्यावरण | सदस्य |
| (xix) | मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड | सदस्य |
| (xx) | मुख्य अभियंता, कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| (xxi) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी | सदस्य |
| (xxii) | मिशन निदेशक, हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी | सदस्य |
| (xxiii) | मिशन निदेशक, हरियाणा कौशल विकास परिषद् | सदस्य |
| (xxiv) | प्रबंध निदेशक, हरियाणा एग्रो उद्योग निगम | सदस्य |
- (ख) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल, भारतीय गेहूं तथा जौ बाजरा अनुसंधान संस्थान, करनाल, गन्ना अनुसंधान संस्थान, करनाल, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, सिरसा, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, चंडीगढ़ और जैव खेती क्षेत्रीय केन्द्र, पंचकूला से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि तथा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा कृषि तथा सहबद्ध सेक्टर के क्षेत्र से विशेष आमन्त्रित सदस्यों के रूप में नामांकित किये जाने वाले तीन प्रख्यात वैज्ञानिक;
- (ग) राज्य में एग्रो-व्यवसाय तथा एग्रो-उद्योगों को चलाने वाले कृषि उद्यमी सहित कृषि तथा सहबद्ध सेक्टर में राज्य/राष्ट्रीय अवाडॉ से सम्मानित प्रगतिशील किसानों में से प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी अवधि के लिए, जो सदस्यों के रूप में विहित की जाये, नामांकित किये जाने वाले ऐसे व्यक्ति जो पांच से कम न हों तथा दस से अधिक न हों;

(3) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। विभागाध्यक्ष, कृषि तथा किसान कल्याण परिषद् का सदस्य-सचिव होगा, जो प्राधिकरण के विचारण/निर्णय के लिए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उस पर की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित परिषद् की सिफारिशें भेजेगा।

(4) परिषद् की बैठकें करने तथा कारबार से संव्यवहार के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

11. (1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन प्राधिकरण के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा प्रबन्धन मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होगा।

प्राधिकरण के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा प्रबन्धन।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदेश द्वारा प्राधिकरण के किसी अधिकारी को अपनी कोई शक्ति ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकता है जो वह अवधारित करे :

परन्तु प्रत्यायोजन का प्रत्येक ऐसा आदेश तथा ऐसे प्रत्यायोजन के निबन्धन तथा शर्तें प्राधिकरण के सम्मुख रखी जाएंगी।

12. प्राधिकरण का सदस्य या परिषद् का सदस्य जो प्राधिकरण या परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, की बैठक में विचारण के लिए आने वाले किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखने वाला चाहे आर्थिक या अन्यथा हो, ऐसी बैठक में अपने हित के स्वरूप को प्रकट करेगा तथा उस मामले के सम्बन्ध में प्राधिकरण या परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के किसी विचार-विमर्श या निर्णय में कोई भाग नहीं लेगा।

हित के प्रतिकूल होने का परिवर्जन।

13. प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा ऐसे अधिकारी जो प्राधिकरण अवधारित करे तथा परिषद् के सदस्य यथाशीघ्र नियुक्ति के बाद तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष, प्राधिकरण में किसी परिवार के सदस्य किसी सम्पत्ति, कारबार या नियोजन में या प्राधिकरण से सम्बन्धित किसी मामले या सम्बद्ध कार्यों में अपने हित की सीमा, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो तथा चाहे आर्थिक या अन्यथा हो, तक ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में घोषणा करेगा तथा इस प्रकार की गई घोषणा प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

सूचना का प्रकटीकरण।

14. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कृत्य।

(i) भूमिहीन किसानों तथा उसके परिवारों सहित किसानों के कल्याण के लिए परिषद् की सलाह तथा सिफारिशों के अनुसार सभी सम्भव पालिसी निर्णय करेगा तथा ऐसे उपाय करेगा;

(ii) राज्य के भूमिहीन तथा काश्तकारों सहित वास्तविक किसानों की पहचान करने तथा ऐसे किसानों के कल्याण के लिए नई स्कीमें तैयार करने के लिए ऐसे उपाय करने ;

- (iii) कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र तथा लाभकारी के रूप में कृषि के लिए व्यवहार्य भूमि जोत आकार की पहचान करने के लिए व्यापक भूमि उपयोग पालिसी तैयार करने;
- (iv) फसल हानि के लिए उपयुक्त राहत तथा पर्याप्त प्रतिकर उपलब्ध करवाते हुए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों की विपत्तियों को कम करने तथा किसानों तथा उनके परिवारों के स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए बीमा भी उपलब्ध करने ;
- (v) राज्य में फसल पैटर्न-वाईज पहचान करने तथा ऐसे किसानों के कल्याण के लिए विशेष पॉलिसी निर्णय/उपाय करने;
- (vi) जलवायु स्थिति बदलने से कृषि को जोखिम मुक्त बनाने के सम्बन्ध में ऐसे उपाय करने तथा किसानों में जलवायु स्मार्ट खेती पद्धति को बढ़ावा देने;
- (vii) कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त पालिसी मध्यस्थता को सूत्रबद्ध करने तथा सभी पणधारी विभागों के प्रयासों की सहक्रिया से उत्पादन की लागत को कम करने के लिए ऐसे उपाय करने;
- (viii) मल्टीप्रोगंड मध्यस्थता के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसी पालिसी निर्णय करने तथा ऐसे उपाय करने जैसे कि:-
- (क) निवेश लागत को कम करना;
- (ख) उत्पादकता में बढ़ोतरी;
- (ग) फसल विविधता (कम आमदनी वाली फसलों को अधिक आमदनी/उच्च मूल्य फसलों में बदलना);
- (घ) समेकित खेती करने;
- (ङ.) मिश्रित खेती करने;
- (च) पूर्व फसल कटाई प्रबन्धन, मूल्य जोड़ने, पैकेजिंग, ब्राण्डिंग तथा कृषि-कारबार सेवाएं;
- (छ) संस्थागत क्रेडिट पहुँच;
- (ज) जोखिम प्रबन्धन;
- (ix) कृषि/किसानों की कृषि उपज की आश्वस्त और लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना;
- (x) पूर्व फसल कटाई प्रबंधन के लिए और कृषि उपज के विपणन के लिए निजी क्षेत्र निवेश को आमंत्रित/बढ़ाने के लिए अवसंरचना के विकास में लोक निवेश बढ़ाने हेतु उपयुक्त पालिसी सूत्रबद्ध करना;
- (xi) मृदा और जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन के माध्यम से सत्त कृषि को बढ़ावा देना;
- (xii) राज्य के किसानों में कृषि उद्यमी और कुशल विकास के प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना;

- (xiii) ऐसे पालिसी निर्णय करना तथा ऐसे उपाय करना ताकि किसान परिवारों की चरणबद्ध ढंग (प्रत्यक्ष विपणन) से कृषि बाजार में सीधी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके;
- (xiv) प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए तत्समय लागू किसी विधि के अनुसार भूमि का अर्जन करने के लिए सरकार को सिफारिशें करना ;
- (xv) भूमि से अन्यथा चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन करना, पट्टे पर देना, धारण करना, प्रबन्ध करना, रख-रखाव करना तथा निपटान करना ;
- (xvi) किसी व्यक्ति, बोर्ड, कम्पनी, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य एजेंसी के साथ संविदा या करार करना ;
- (xvii) सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो सरकार द्वारा विहित की जाएं, बोर्डों, कम्पनियों या अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी तथा सीमित दायित्व भागीदारी बनाना ;
- (xviii) ऐसे सभी अन्य कार्य तथा बातें करना जो किसी मामले, जो शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने से उत्पन्न हो, किसी मामले के लिए आवश्यक या आनुषंगिक या सहायक हों तथा जो उद्देश्यों, जिनके लिए प्राधिकरण स्थापित किया गया है, के बढ़ावे के लिए आवश्यक हो ;
- (xix) कोई अन्य कृत्य, जो प्राधिकरण उचित समझे।
- 15.** प्राधिकरण किसानों के कल्याण के लिए विनियमों, पालिसियों, मार्गदर्शनों तथा प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा तथा केन्द्रीय कार्यों के अनुकूल राज्य के किसानों के कल्याण को शासित करने वाले परिनियमों में संशोधन करने का सुझाव देगा। विद्यमान विधियों के उपबन्धों से सुसंगति।
- 16.** (1) प्राधिकरण राज्य में किसी विभाग, बोर्ड, निगम या अनुसंधान संस्था से उसके प्रयोजनों से सम्बन्धित कोई सूचना मांग सकता है। सूचना प्राप्त करना तथा अध्ययन तथा सर्वेक्षण करना।
- (2) प्राधिकरण स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र तथा किसानों के कल्याण से सम्बन्धित किसी मामले का सर्वेक्षण तथा अध्ययन भी करवा सकता है।
- 17.** ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्राधिकरण अनेक समन्वय समितियां तथा स्थाई समितियां जो वह ठीक समझे, ऐसे संदर्भों की शर्तों सहित गठित कर सकता है जो प्राधिकरण कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धित किन्हीं मामलों तथा किसानों के कल्याण से सम्बन्धित मामले में किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कार्य के निर्वहन या निगरानी या रिपोर्ट या सलाह के लिए अवधारित करे। समन्वय समितियां तथा स्थाई समितियां।
- 18.** मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसा अनुभव रखने वाले ऐसे विशिष्टों को ऐसी फीस तथा पारिश्रमिक पर तथा ऐसी अवधि के लिए लगा सकता है जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। विशेषज्ञ लगाने की शक्तियां।

प्राधिकरण द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

19. प्राधिकरण अपने कार्यों का दक्षता पूर्ण निर्वहन करने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी अपनाएगा।

प्राधिकरण की निधियां।

20. (1) प्राधिकरण की अपनी निधियां होंगी तथा उनका रखरखाव करेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा:-

- (क) अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्यथा के रूप में केन्द्रीय सरकार या सरकार से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धन-राशियां;
- (ख) ऋण या ऋणपत्रों के रूप में राज्य या केन्द्रीय सरकार से भिन्न स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा उधार ली गई सभी धन-राशियां;
- (ग) चल तथा अचल सम्पत्ति के निपटान से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीस, प्रभार या उदग्रहण; तथा
- (घ) किराए तथा लाभ के रूप में या किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) निधि निम्नलिखित खर्चों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाएगी -

- (क) प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए सृजित आस्तियों के संचालन तथा रखरखाव में;
- (ख) प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते;
- (ग) अधिनियम के प्रशासन के लिए;
- (घ) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कार्यों को पूरा करने में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो प्राधिकरण अनुमोदित करे या राज्य सरकार निर्देश या अनुमति दे।

वार्षिक अनुदान, ऋण तथा अग्रिम।

21. सरकार वार्षिक रूप से ऐसी धन-राशियों की ऐसी राशियों का अनुदान, ऋण या अग्रिम प्राधिकरण को दे सकती है जो सरकार आवश्यक समझे तथा इस प्रकार दिए गए सभी अनुदान, ऋण या अग्रिम ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर दिए जाएंगे जो सरकार अवधारित करे।

उधार लेने तथा चन्दा प्राप्त करने की शक्ति।

22. प्राधिकरण, समय-समय पर, सरकार से भिन्न स्रोतों से ऋण, बन्धपत्र या ऋणपत्र या अन्य दस्तावेजों के रूप में धन उधार ले सकता है तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर साधारण या विशिष्ट रूप से जनता से चन्दा प्राप्त कर सकता है जैसा सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

निवेश करने की शक्ति।

23. (1) प्राधिकरण अपनी निधियों का कोई भाग ऐसे निवेशों में निवेश कर सकता है जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्राधिकरण सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवसंरचना विकास के लिए तथा अपने कार्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संयुक्त उद्यम कम्पनियों तथा सीमित दायित्व भागीदारी की स्थापना में निवेश कर सकता है।

24. प्राधिकरण द्वारा ऋणों पर ब्याज या ऋणों के पुनर्भुगतान के लेखे में सभी भुगतानों को प्राधिकरण के सभी अन्य देयों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी । ऋणों के ब्याज और पुनर्भुगतान के लिए भुगतान की प्राथमिकता ।
25. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण को अनुमानित प्राप्तियां तथा वितरण दर्शाते हुए आगामी अनुवर्ती वित्त वर्ष के सम्बन्ध में बजट प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा । बजट ।
- (2) प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत बजट ऐसे संशोधनों तथा पुनरीक्षणों के अधधीन जैसा वह निर्णय करे, अनुमोदन करेगा ।
- (3) प्राधिकरण द्वारा यथा रूपान्तरित या संशोधित बजट ऐसी अधिप्रमाणित प्रतियों की ऐसी संख्या सहित सरकार को भेजेगा जैसा सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाए तथा सरकार राज्य विधान- मण्डल के सम्मुख अपनी रिपोर्ट रखवाएगी ।
- (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपधारा (3) के अधीन राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखने बाद प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्राधिकरण द्वारा यथा रूपान्तरित तथा संशोधित बजट रखवाया जाएगा ।
26. (1) प्राधिकरण ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में तुलन-पत्र सहित उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा । लेखा तथा लेखा-परीक्षा ।
- (2) प्राधिकरण के लेखे महालेखाकार, हरियाणा द्वारा प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षा के अधधीन होंगे और ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में उपगत कोई खर्च महालेखाकार, हरियाणा को प्राधिकरण द्वारा भुगतानयोग्य होगा ।
- (3) महालेखाकार, हरियाणा और प्राधिकरण के लेखों की लेखा-परीक्षा के संबंध में उस द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो सरकारी लेखों की लेखा-परीक्षा के संबंध में महालेखाकार, हरियाणा को हैं और विशिष्टतया पुस्तकों, लेखों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागजों को प्रस्तुत करने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा ।
- (4) महालेखाकार, हरियाणा, इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा इस प्रकार की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा तथा सरकार राज्य विधानमण्डल के सम्मुख उसकी प्रति रखवाएगी ।
- (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपधारा (4) के अधीन विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखने के बाद लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण के लेखे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट पर डलवाएगा ।

वार्षिक रिपोर्ट।

27. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार करेगा तथा सरकार की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तिथि को या से पूर्व, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा तथा सरकार राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखवाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में लागूकरण में अन्तर तथा कमियां तथा ऐसी कमियों के कारण सहित सहायता साधनों, यदि कोई हों, लागू स्कीमों पर कार्रवाई की वार्षिक योजना के लागूकरण की स्थिति पर व्याख्यात्मक ज्ञापन शामिल होगा।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विधान-मण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखने के बाद व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित रिपोर्ट प्राधिकरण की वेबसाइट पर डलवाएगा।

कार्यों का पुनर्विलोकन।

28. (1) सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे सदस्यों को मिलाकर कोई समिति गठित करेगी जो उक्त अवधि में प्राधिकरण के कार्यों का मूल्यांकन तथा पुनर्विलोकन करने के लिए विहित की जाए।

(2) समिति में कृषि, ग्रामीण विकास, फसल बीमा, प्रबन्धन, लोक प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विशेषज्ञ तथा स्थायी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति प्राधिकरण के कार्यों का मूल्यांकन तथा पुनर्विलोकन करेगी तथा सरकार को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगी:—

(क) इस अधिनियम में कथित प्राधिकरण के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने की सीमा जो राज्य के किसानों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को व्यक्त करे।

(ख) सुधार उपाय, यदि कोई हों, सहित प्राधिकरण का आगामी विजन।

(ग) ऐसे अन्य मामले जो सरकार द्वारा समिति को निर्दिष्ट किए जाएं।

(4) सरकार उपधारा (1) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट समिति की प्रत्येक सिफारिश के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई या उस पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखवाएगी।

रिक्तियों द्वारा कार्यवाही का अमान्य न होना।

29. इस अधिनियम द्वारा या के अधीन गठित प्राधिकरण, परिषद् या किसी समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इसके सदस्यों की किसी रिक्ति या रिक्तियों के होने के कारण अमान्य नहीं होंगी।

विवरणी तथा सूचना।

30. प्राधिकरण, ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, अपने कार्यकलापों के सम्बन्ध में ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना जो सरकार, समय-समय पर मांगे, सरकार को प्रस्तुत करेगा।

31. (1) प्राधिकरण ऐसे निर्देश करेगा, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, वार्षिक रिपोर्ट।
उसको जारी किए जायें।

(2) सरकार, किसी भी समय या तो उसके अपने प्रस्ताव से या इस निमित्त किए गए आवेदन पर, स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए पारित किसी आदेश की वैधता या जारी किए गए निदेश के औचित्य के सन्तोषजनक प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा निपटान द्वारा किए गए किसी मामले या पारित आदेश का रिकार्ड मांग सकती है तथा उसके सम्बंध में ऐसे आदेश पारित कर सकती है या ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे:

परंतु सरकार ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

32. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे तथा उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

अन्य विधियों का लागूकरण वर्जित न होना।

33. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमों के अधीन किसी बात जो सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

34. इस अधिनियम द्वारा या के अधीन गठित प्राधिकरण, परिषद् या किसी समिति के प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य अमला भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जायेंगे।

सदस्यों तथा अधिकारियों का लोक सेवक होना।

35. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात्:-

- (क) प्राधिकरण की बैठकों में हाजिर होने के लिए पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के भत्ते ;
- (ख) प्राधिकरण की बैठक का समय, कारबार का संचालन करने तथा कारबार का संव्यवहार करने की प्रक्रिया के लिए नियम;
- (ग) रीति जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण की बैठकों के रिकार्ड रखेगा;
- (घ) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग तथा अर्हताएं;
- (ङ) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य अमले को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें;

- (च) परिषद् में नामांकित किए जाने वाले राज्य के मेहनती किसानों या कृषि उद्योगपतियों के कारण व्यक्तियों की नियुक्ति का ढंग तथा निबंधन;
- (छ) परिषद् की बैठकें करने तथा कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया;
- (ज) परिषद् की बैठक में हाजिर होने के लिए पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के भत्ते;
- (झ) प्रत्येक वर्ष के बजट का रूप तथा समय जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रस्तुत करेगा;
- (ञ) प्ररूप जिसमें प्राधिकरण तुलन-पत्र सहित उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत रिकार्ड रखेगा तथा लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा;
- (ट) प्ररूप तथा तिथि, जिसको या जिससे पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा सरकार को प्रस्तुत करेगा;
- (ठ) समिति के सदस्यों की संख्या, उनकी सुविज्ञता तथा उसके गठन का ढंग;
- (ड.) कोई अन्य मामला जो विहित किया गया है या किया जा सकता है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

36. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन, प्राधिकरण अपनी वेबसाईट पर प्रकाशन द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकता है।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात्:-

- (क) अस्थाई अमले की नियुक्ति की रीति, अवधि तथा निबंधन तथा शर्तें;
- (ख) प्ररूप तथा रीति, जिसमें प्राधिकरण का अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा परिषद् के सदस्य अपने हित की सीमा की घोषणा करेगा;
- (ग) समन्वय समितियों तथा स्थाई समितियों के गठन के निबन्धन तथा शर्तें;
- (घ) प्ररूप तथा रीति जिसमें कोई सदस्य घोषणा करेगा;
- (ड.) विशेषज्ञों की फीस, पारिश्रमिक तथा उनकी नियुक्ति की अवधि;

(च) निवेश जिसमें प्राधिकरण अपनी निधियों का कोई भाग निवेश कर सकता है;

(छ) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जा सकता है;

(3) प्राधिकरण, समय-समय पर, किसी विनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है तथा प्रत्येक ऐसा विनियम, इसका संशोधन या निरसन, जैसी भी स्थिति हो, प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

37. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन के रूप में प्रतीत हो:

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

38. धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, जारी अधिसूचना इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम तथा विनियम उसके जारी किए जाने या बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

राज्य विधानमंडल के सम्मुख अधिसूचना, नियमों तथा विनियमों को रखना।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

कृषि उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी, कृषि उपज की कम लाभकारी कीमत, मार्केट पहुँच की कमी तथा दोहरी फसल, प्राकृतिक आपदा तथा विपत्ती इत्यादि के कारण खराबी को ध्यान में रखते हुए राज्य का कृषि क्षेत्र तथा किसान जिसमें भूमिहीन किसान शामिल हैं, संकट में हैं। हरियाणा राज्य की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी मूल आजीविका के लिए कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र में लगी हुई है। किसान, जैसे कि कोई अन्य व्यक्ति सामाजिक बाध्यताओं अपने बच्चों की शिक्षा सहित अपने परिवार की आवश्यकताओं तथा परिवार की चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल को भी पूरा करता है। इस सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए घोषणा की गई है बहुत सी सार्थकताओं को ग्रहण करके जिसके लिए हरियाणा राज्य को किसानों के कल्याण पर मुख्य फोकस सहित कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र के होलिस्टिक तथा सतत विकास के लिए मल्टीप्रोगंड पहुँच प्रारम्भ करनी चाहिए। किसानों की दुर्दशा तथा संकट को पूर्ण रूप से समझने के लिए राज्य सरकार ने "हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण" की स्थापना करना प्रस्तावित किया है जिसका मूल उद्देश्य राज्य के किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिनाई का समाधान करने तथा स्थिति को बदलने तथा चुनौती देने में व्यथित किसानों की सहायता मुहैया कराने के लिए दयालुता तथा होलिस्टिक कल्याण आधारित पहुँच को सूत्रबद्ध करना तथा सहमति देना होगा।

ओम प्रकाश धनखड़,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 13 मार्च, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजन विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 7(1) प्राधिकरण की शक्तियों को कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजन करता है। प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 11(2) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश से विशेषज्ञ को रखने की शक्ति को प्राधिकरण के अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन करने की व्यवस्था करता है। अतः हरियाणा विधान मण्डल के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 126 के अन्तर्गत वांछित प्रत्यायोजन विधान का ज्ञापन संलग्न है।